

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 178 / स्टेनो / 2025

रीवा, दिनांक 29.08.2025

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जिला न्यायालय, रीवा के कक्ष क्रमांक 16 में केन्द्रीय जेल रीवा से बंदियों की पेशी/रिमाण्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से कराये जाने हेतु उपकरण संस्थित किये गये हैं जिनमें **सितम्बर-2025** के प्रति कार्यदिवस में निम्न कार्ययोजना अनुसार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्रियान्वित किया जाना है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	सितम्बर-2025		
1	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	01-09-2025	12-09-2025	---
2	श्री शैलेन्द्र रैकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	02-09-2025	13-09-2025	---
3	श्रीमती आरती सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	03-09-2025	15-09-2025	23-09-2025
4	श्री मुकेश कुमार कोरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	04-09-2025	16-09-2025	24-09-2025
5	श्री दिलीप माहोर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	08-09-2025	17-09-2025	25-09-2025
6	सुश्री कंचन सैनिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	09-09-2025	18-09-2025	26-09-2025
7	श्रीमती रश्मि बागरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	10-09-2025	19-09-2025	27-09-2025
8	श्री रंजीत भदकरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0)	11-09-2025	22-09-2025	29-09-2025

नोट :-

अतः उपरोक्त तालिका अनुसार संबंधित न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित कार्यदिवसों में नियत समय पर जिला न्यायालय, रीवा के कक्ष क्रमांक 16 में उपस्थित रहने का कष्ट करें, नियत दिनांक में संबंधित न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने एवं स्थानान्तरण पर जाने तथा न्यायालय के रिक्त होने की दशा में इस न्यायालय के कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अन्य न्यायाधीश की ड्यूटी प्रभावशील होगी।

(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा।
- ✓ 3. सिस्टम आफ़ीसर, कम्प्यूटर शाखा रीवा मध्यप्रदेश।
4. जिला नाजिर, रीवा को उपरोक्त दिनांकों में नियत समय पर कक्ष खुलवाये जाने एवं साफ सफ़ाई के संबंध में प्रेषित।
5. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रीवा की ओर नियत तिथि एवं समय पर बंदियों की पेशी/रिमाण्ड करवाये जाने तथा संबंधित न्यायाधीशगणों को इस बावत् सूची प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)